उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)

संख्या वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)189/दस-2014-11-2013

लखनऊ: 22 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014

भाग-एक-सामान्य

	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
	2- सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग सेवा में समूह "ख" और समूह "ग" के पद समाविष्ट है।	सेवा की प्रास्थिति
नियमावली का लागू होना	3-यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधानमण्डल, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर लागू होगी।	
अध्यारोही प्रभाव	4-यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।	
परिभाषाए	5- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित	

	जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 से है; (ख) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन लिपिकीय संवर्ग सेवा के किसी पद पर नियुक्त करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है; (ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए; (घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है; (ड) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; (ज) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से है; (झ)"सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा से है; () "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात या आमेलन से की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;	
	भाग-दो-संवर्ग	
सेवा का संवर्ग	6—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। (2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासनादेश संख्या-	

	वे0आ0-2-2053/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर,2010, संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक18 मार्च,2011, संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर,2011, संख्या-वे0आ0-2-44/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक17 जनवरी,2014 और संख्या-वे0आ0-2-47/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 20 जनवरी,2014 में अन्तर्विष्ट विनिश्चयों के अनुसरण में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में दी गयी है:- परन्तु यह कि:- (एक)नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या (दो)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।	
	भाग-तीन-भर्ती	
	7-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-	भर्ती का स्रोत
(1)कनिष्ठ सहायक	(एक)अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, (दो) पन्द्रह प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह ''घ''के कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जो समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह ''ग'' के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों, पदोन्नति द्वारा। (तीन) पांच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह ''घ'' के कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जो समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह ''ग'' के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली,2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों,पदोन्नति	

	द्वारा।	
(2)वरिष्ठ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	
(3)प्रधान सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	
(4)प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त प्रधान सहायकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक के पदों पर कुल मिला कर कम से कम दस वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी, के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।	
(5)वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिला कर कम से कम पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।	
(6)मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र	

	व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिला कर कम से कम अठारह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।	
आरक्षण	8- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	
	भाग-चार-अर्हतायें	
राष्ट्रीयता	9-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:- (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत में आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो, परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण.पत्र जारी किया गया हो: परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की	

	नागरिकता प्राप्त कर ले। **टिप्पणी**:-ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।	
शैक्षिक अर्हतायें	10- सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है:- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। (दो) हिन्दी और अग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (तीन) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र।	
	11-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	अधिमानी अर्हता
	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	आयु
	13-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र	चरित्र

	ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। **टिप्पणीः** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।	
	14-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी होः परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।	वैवाहिक प्रास्थिति
	15-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अघ्याय-तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल,10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें: परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गए किसी अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।	शारीरिक स्वाथ्यता
	भाग-पांच-भर्ती प्रक्रिया	
	16-नियुक्त प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार अधिसूचित की जायेगीः.	रिक्तियों का अवधारण

<table>
<tr><td></td><td>(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके;
(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचा-.पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा;
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>17-सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ''ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के उपबंधों के अनुसारं की जायेगी।</td><td>कनिष्ठ सहायक के पद हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया</td></tr>
<tr><td></td><td>18-सेवा में कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह ''ग" के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली,2001 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।</td><td>कनिष्ठ सहायक के पद हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया</td></tr>
<tr><td>वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारी, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती</td><td>19-(1) सेवा में वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली,1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली,1992 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भीचयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:-
<table><tr><td>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी,जो उस पद की पर्यवेक्षकीय हैसियत रखते हो जिसके लिए</td><td>सदस्य</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

प्रक्रिया	चयन किया जाना है। **टिप्पणी:**चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। (2)नियुक्त प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयन्नोति पात्रता सूची नियमावली,1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4)चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	
संयुक्त चयन सूची	20-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।	
	भाग-छ:नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता	
नियुक्ति	21-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वें यथास्थिति, नियम 17,18,19 या 20 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा। (2)जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो वहां नियमित नियुक्ति तब तक नही की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 20 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।	

परिवीक्षा	(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जांय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति,चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हे पदोन्नत किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 20 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा। 22-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली,2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नही किया है या, संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा। (4) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	
	23- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,और (ग) नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। (2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण	स्थायीकरण

<table>
<tr><td></td><td>नियमावली,1991 के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह धोषण करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
24-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।</td><td>ज्येष्ठता</td></tr>
<tr><td></td><td>भाग-सात-वेतन आदि</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>25-(1)सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2)इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-
<table>
<tr><th rowspan="2">पद का नाम</th><th colspan="2">वेतनमान</th></tr>
<tr><th>वेतन बैंड</th><th>ग्रेड वेतन</th></tr>
<tr><td>कनिष्ठ सहायक</td><td>वेतन बैंड-1रू0 5200-20200</td><td>रू02000</td></tr>
<tr><td>वरिष्ठ सहायक</td><td>वेतन बैंड-1रू0 5200-20200</td><td>रू02800</td></tr>
<tr><td>प्रधान सहायक</td><td>वेतन बैंड-1 रू0 9300-34800</td><td>रू04200</td></tr>
<tr><td>प्रशासनिक अधिकारी</td><td>वेतन बैंड–2 रू0 9300-34800</td><td>रू04600</td></tr>
<tr><td>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी</td><td>वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800</td><td>रू04800</td></tr>
<tr><td>मुख्य प्रशासनिक अधिकारी</td><td>वेतन बैंड-3 रू015600-39100</td><td>रू05400</td></tr>
</table>
</td><td>वेतनमान</td></tr>
<tr><td></td><td>26-(1)फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी</td><td>परिवीक्षा अवधि में</td></tr>
</table>

	सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो: परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। (2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:- परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। (3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।	वेतन
	भाग-आठ-अन्य उपबन्ध	
पक्ष समर्थन अन्य विषयों का विनियमन सेवा की शर्तो	27-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा। 28-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अर्न्तगत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगे। 29-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में	

में शिथिलता व्यावृत्ति	नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से कियी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। 30-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।	

आज्ञा से

अजय अग्रवाल

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)

संख्या वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)189/दस-2014-11-2013

लखनऊ: 22 सितम्बर, 2014

<u>अधिसूचना</u>

<u>प्रकीर्ण</u>

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014

भाग-एक-सामान्य

	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
	2- सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग सेवा में समूह “ख“ और समूह “ग“ के पद समाविष्ट है।	सेवा की प्रास्थिति
नियमावली का लागू होना	3-यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधानमण्डल, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर लागू होगी।	
अध्यारोही प्रभाव	4-यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।	
परिभाषाए	5- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :- (क) “अधिनियम“ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित	

	जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 से है; (ख) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन लिपिकीय संवर्ग सेवा के किसी पद पर नियुक्त करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है; (ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए; (घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है; (ड) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; (ज) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से है; (झ)"सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा से है; () "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात या आमेलन से की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;	
	भाग-दो-संवर्ग	
सेवा का संवर्ग	6–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। (2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक	

	श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2053/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर,2010, संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक18 मार्च,2011, संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर,2011, संख्या-वे0आ0-2-44/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक17 जनवरी,2014 और संख्या-वे0आ0-2-47/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 20 जनवरी,2014 में अन्तर्विष्ट विनिश्चयों के अनुसरण में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में दी गयी है:- परन्तु यह कि:- (एक)नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या (दो)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।	
	भाग-तीन-भर्ती	
	7-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-	भर्ती का स्रोत
(1)कनिष्ठ सहायक	(एक)अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, (दो) पन्द्रह प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह ''घ''के कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जो समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह ''ग'' के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों, पदोन्नति द्वारा। (तीन) पांच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह ''घ'' के कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जो समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह ''ग'' के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति	

	द्वारा भर्ती) नियमावली,2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों,पदोन्नति द्वारा।	
(2)वरिष्ठ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	
(3)प्रधान सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	
(4)प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त प्रधान सहायकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक के पदों पर कुल मिला कर कम से कम दस वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी, के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।	
(5)वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिला कर कम से कम पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।	
(6)मुख्य प्रशासनिक	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष	

अधिकारी	की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिला कर कम से कम अठारह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।	
आरक्षण	8- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	
	भाग-चार-अर्हतायें	
राष्ट्रीयता	9-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:- (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत में आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो, परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण.पत्र जारी किया गया हो: परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले,	

	परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। टिप्पणी:.ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।	
शैक्षिक अर्हतायें	10- सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है:- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। (दो) हिन्दी और अग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (तीन) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र।	
	11-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	अधिमानी अर्हता
	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों	आयु

	और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	
	13-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।	चरित्र
	14-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी होः परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।	वैवाहिक प्रास्थिति
	15-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल,10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें: परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गए किसी अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।	शारीरिक स्वाथ्यता
	भाग-पांच-भर्ती प्रक्रिया	
	16-नियुक्त प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली	रिक्तियों का

	रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार अधिसूचित की जायेगीः. (एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके; (दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचा-.पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा; (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।	अवधारण
	17-सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ''ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के उपबंधों के अनुसारं की जायेगी।	कनिष्ठ सहायक के पद हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया
	18-सेवा में कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह ''ग" के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली,2001 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।	कनिष्ठ सहायक के पद हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया
वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारी, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु पदोन्नति	19-(1) सेवा में वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली,1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली,1992 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भीचयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी:-	

<table>
<tr><td>द्वारा भर्ती प्रक्रिया</td><td><table><tr><td>(एक) नियुक्ति प्राधिकारी</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी,जो उस पद की पर्यवेक्षकीय हैसियत रखते हो जिसके लिए चयन किया जाना है।</td><td>सदस्य</td></tr></table>टिप्पणी:चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
(2)नियुक्त प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्निति पात्रता सूची नियमावली,1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
(4)चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।</td><td></td></tr>
<tr><td>संयुक्त चयन सूची</td><td>20-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>भाग-छ:नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता</td><td></td></tr>
<tr><td>नियुक्ति</td><td>21-(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वें</td><td></td></tr>
</table>

	यथास्थिति, नियम 17,18,19 या 20 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा। (2)जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो वहां नियमित नियुक्ति तब तक नही की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 20 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय। (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जांय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति,चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हे पदोन्नत किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 20 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा। 22-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली,2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नही किया है या, संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा। (4) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	
परिवीक्षा		
	23- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी	स्थायीकरण

	परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,और (ग) नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। (2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,1991 के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह धोषण करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। 24-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।	ज्येष्ठता
	भाग-सात-वेतन आदि	
	25-(1)सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2)इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-	वेतनमान

पद का नाम	वेतनमान	
	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
कनिष्ठ सहायक	वेतन बैंड-1रू0 5200-20200	रू02000
वरिष्ठ सहायक	वेतन बैंड-1रू0 5200-20200	रू02800
प्रधान सहायक	वेतन बैंड-1 रू0 9300-34800	रू04200
प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैंड–2 रू0 9300-34800	रू04600

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी</td><td>वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800</td><td>रू04800</td></tr>
<tr><td>मुख्य प्रशासनिक अधिकारी</td><td>वेतन बैंड-3 रू015600-39100</td><td>रू05400</td></tr>
</table>
26-(1)फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:
परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:-
परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।
</td>
<td>

परिवीक्षा अवधि में वेतन</td>
</tr>
<tr><td></td><td>भाग-आठ-अन्य उपबन्ध</td><td></td></tr>
<tr><td>पक्ष समर्थन</td><td>27-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या</td><td></td></tr>
</table>

	अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।	
अन्य विषयों का विनियमन	28-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगे।	
सेवा की शर्तो में शिथिलता	29-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से कियी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।	
व्यावृत्ति	30-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।	

आज्ञा से

अजय अग्रवाल

सचिव।